



# भारत का राजपत्र

# The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 385]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अक्टूबर 12, 2018/आश्विन 20, 1940

No. 385]

NEW DELHI, FRIDAY, OCTOBER 12, 2018/ASVINA 20, 1940

## उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

(उपभोक्ता मामले विभाग)

(भारतीय मानक व्यूरो)

### अधिसूचना

नई दिल्ली, 9 अक्टूबर, 2018

**फा. सं. बीएस/11/05/2018**—भारतीय मानक व्यूरो अधिनियम, 2016 (2016 का 11) की धारा 13 व 14 के साथ पठित धारा 39 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय मानक व्यूरो केन्द्र सरकार के पूर्व अनुमोदन से एतद्वारा भारतीय मानक व्यूरो अधिसूचना संख्या फा. सं. बीएस/11/05/2018, दिनांक 14 जून, 2018 में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से निम्नलिखित संशोधन करती है अर्थात्—

2. उक्त अधिसूचना में क्रम संख्या 2 (घ) के लिए और उससे संबंधित प्रविष्टियों को निम्नलिखित से प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

(घ) "नियम" से भारतीय मानक व्यूरो नियम, 2018 अभिप्रेत है;

और भारतीय मानक व्यूरो नियम, 2017 या नियम, 2017 जहां भी विद्यमान है को भारतीय मानक व्यूरो नियम, 2018 के रूप में प्रतिस्थापित किया जाए।

एच. एल. उपेंद्र, वैज्ञानिक "जी" एवं उपमहानिदेशक (सीए एवं पीपीएण्डसी)

[विज्ञापन-III/4/असा./302/18]

**MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION****(Department of Consumer Affairs)****( BUREAU OF INDIAN STANDARDS )****NOTIFICATION**

New Delhi, the 9th October, 2018

**F. No. BS/11/05/2018.**—In exercise of the powers conferred by section 39 read with sections 13 and 14 of the Bureau of Indian Standards Act, 2016 (11 of 2016), the Bureau of Indian Standards, with the previous approval of the Central Government, hereby makes the following amendment in the Bureau of Indian Standards notification number F. No. BS/11/05/2018, dated 14<sup>th</sup> June, 2018, with effect from the date of publication of this notification, namely:-

2. In the said notification, for serial number 2(d) and the entries relating thereto, the following shall be substituted, namely:

(d) "rules" means the Bureau of Indian Standards Rules, 2018 ;  
and Bureau of Indian Standards Rules, 2017 or Rules, 2017 wherever exists be substituted as Bureau of Indian Standards Rules, 2018.

H. L. UPENDAR, Scientist "G" &amp; DDG(CA &amp; PP&amp;C)

[ADVT.-III/4/Exty./302/18]